

IIM/20 /15

ANNEXURE-1

(Refers to CAO/Cir/2024, dated 18.11.2024)

DETAILS OF FAMILY MEMBERS

1. N	Name of Employee		:			
2. I	Designation		:			
3. I	Date of Birth as per se	rvice book	:			
	Date of Appointment state whether regular	or Tenure/Co	: ntract)			
Sr. No.	Name of the Family Member	Date of Birth	Relationship with the employee	Occupation	Average monthly income from all sources	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
	by undertake to keep to by Certify that the abo					tion or alteration.
Date:		_			(Signatu	ure of Employee)
To, SEO	(Admin & HR),					

Note

IIM Mumbai

- 1. The original form submitted by the employee is to be retained. All additional alterations are to be recorded in this form under the signature of Head of Administration Department in Col Seven (7).
- 2. No new form will substitute the original form. However, the retiring government servant should submit the details of family fresh in the prescribed format.
- 3. The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family, pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.
- 4. The Head of the Administration Department shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the remarks column. The facts regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the remarks column.
- 5. Wife and husband shall include judicially, separated, wife and husband.

^{*} Definition of family for medical attendance (see overleaf)

DEFINTION OF FAMILY

The term 'family' for the purpose of the Central Services Rules, 1944, shall mean a Government servant's wife or husband, as the case may be, and parents, sisters, widowed sisters, widowed daughters, minor brothers, children, stepchildren divorced / separated daughters and stepmother wholly dependent upon the Government servant and are normally residing with the Government servant.

1. FAMILY MEANS EMPLOYEE'S:

i.	Husband/Wife including more than one wife and also judicially separated wife.			
ii.	Parents and Stepmother	• In case of adoption, only the adoptive and not the real parents.		
		• If the adoptive father has more than one wife, the first wife		
		only.		
		• A female employee has a choice to include either her parents		
		or her parents-in-law.		
		• option exercised can be changed only once during service.		
iii.	Children including legally adopted children, stepchildren and children taken as wards subject to the following conditions:			
a.		ng or attains the age of 25 years, whichever is earlier		
	Unmarried Son Till he starts earning, or attains the age of 25 years, whichever is earlier.			
b.	Daughter Till she starts earning or gets married, irrespective of the age limit, whichever is earlier			
c. Son suffering from Permanent disability of any kind (Physically or mental) - Irresp				
	limit.			
iv.	Widowed daughters and	Irrespective of age limit.		
	dependent divorced/separated			
	daughters			
v.	Sisters including unmarried/	irrespective of age limit.		
	divorced/ abandoned or			
	separated from husband/			
	widowed sisters			
vi.	Minor brother(s)	Up to the age of becoming a major		
vii.	Permanent disabled dependent brother	Irrespective of age limit		

2. **DEPENDENCY:** The income limit for the dependency of the family members (other than spouse) is ₹ 9000 + DA/DR on the date of consideration of the claim. Parents residing with either the Government servant or the rest of the family members in a station other than the employee's headquarters are eligible for reimbursement.

3. WHEN BOTH HUSBAND AND WIFE ARE EMPLOYEE:

- a) The spouse employed in a State Government, Defence /Railways or Corporation/Bodies financed partly/wholly by the Central/State Government, local bodies and private organizations which provides medical services, may choose the facilities under the Central Government rules of facilities provided by the organization in which the spouse is employed.
- b) Where both are Central Government servants, either of them may prefer to claim self and eligible members of their family, according to his/her status.
- c) In both the types of cases, a joint declaration is required to be furnished as to who preferring the claim. In the absence of joint declaration in the case coming under (b), the concession is to be availed of by the wife and family members according to the status of the husband. Declaration may be changed as often as the circumstances like promotion, transfer, resignation, etc. require.
- d) If judicially separated, pending decision on guardianship, reimbursement for children may be allowed to either spouse.
- e) If the spouse is in receipt of fixed medical allowance, the Government servant can avail facilities under Medical Attendance Rules for himself and members of family residing with him except for the spouse.



ANNEXURE-II

(Refers 10 CAO/Cir/2024, dated 18.11.2024)

$\frac{\text{DECLARATION OF DEPENDENCY OF FAMILY MEMBERS FOR THE PURPOSE OF}}{\text{MEDICAL REIMBURSEMENT}}$

(To be submitted for every claim)

ation
ation
ation
ation
•••••
 oyee)



ANNEXURE-III

(Refers to CAO/Cir/2024, dated 18.11.2024)

DECLARATION CERTIFICATE FOR FAMILY MEMBERS FOR THE PURPOSE OF AVAILING LTC

(To be updated and submitted every year)

I hereby state that the family members named below are wholly dependent upon me and she/he is not having any source of income either from land property, employment, or by way of any pension. She/he is my family member as per the definition of family:

Sr. No.	Name of the Family Member	Age	Relationship with the employee
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

- > She/he does not have any source of income either from land property, employment or by way of any pension.
- ➤ She/he is my family member as per the Definition of 'Family'. I also certify that her/his income per month does not exceed ₹ 9000+ DA/DR and she/he is not a retired government servant.
- That my spouse is not employed in Government service/that my spouse is employed in Government service, and the concession has not been availed of by her/him separately for herself himself or for any of the family members for the concerned block of years (strike off whichever not applicable)
- That my spouse for whom LTC is claimed by me is employed in _____ (name of the Public Sector Undertaking/Corporation/Autonomous Body, etc.), which provides Leave Travel Concession facilities, but he/she has not prepared and will not prefer any claim in this behalf to her/his employer.
- ➤ That my spouse for whom LTC is claimed by me is not employed in any Public Sector Undertaking/corporation/Autonomous Body, financed wholly or partly by the Central Government or a Local Body, which provides Leave Travel Concession facilities to its employees and their families.

The above declaration is made to the best of my belief and in case of any false declaration, 1 shall be liable for appropriate disciplinary action as per the extant rules.

	Signature of Employee
	(Name and Designation of Employee)
Date:	Employee Code:
Place:	



IIM/20__/15

अनुलग्नक-1

(संदर्भ सं. मु.प्रशा. अ./परिपत्र/2024, दिनांक 18.11.2024)

परिवार के सदस्यों का विवरण

1. कर्मचारी का नाम :							
2. पदनाम :							
3. सेवा प्	युस्तिका के अनुसार जन	म तिथि :					
4. नियुवि	४. नियुक्ति की तारीख :						
(बताए-।	नेयमित है या कार्यकाल	1/अनुबंध आध	रि पर)				
क्र.सं.	परिवार के सदस्य का नाम	जन्म तिथि	कर्मचारी के साथ संबंध	पेशा	सभी स्रोतों से औसत मासिक आय	टिप्पणियां	
1	2	3	4	5	6	7	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7. 8.							
δ.							
मैं उपरोक्त विवरणों को अद्यतन रखने हेतु किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन की सूचना कार्यालय को देने का वचन देता/देती हूँ। मैं एतद्दवारा प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा पूरी तरह से अद्यतन और सही है।							
दिनांक: (कर्मचारी का हस्ताक्षर)							
सेवा में, वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी (प्रशा. व मा.सं.), आईआईएम मंबई							

टिप्पणीः

- कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रपत्र को बरकरार रखा जाएगा। सभी अतिरिक्त परिवर्तन कॉलम 7 में प्रशासन विभाग के प्रमुख के हस्ताक्षर के तहत इस फॉर्म में दर्ज किए जाएंगे।
- 2. कोई भी नया फॉर्म मूल फॉर्म का स्थान नहीं लेगा। हालांकि, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को निर्धारित प्रारूप में नए परिवार का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 3. पति/पत्नी, सभी बच्चों और माता-पिता (चाहे परिवार, पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं) और विकलांग भाई-बहनों का विवरण दिया जाना चाहिए।
- 4. प्रशासनिक विभाग के प्रमुख परिवार में वृद्धि या परिवर्तन के संबंध में सूचना प्राप्ति की तारीख टिप्पणी कॉलम में दर्शाएंगे। एक परिवार के सदस्य की विकलांगता या वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को भी टिप्पणी कॉलम में दर्शाया जाना चाहिए।
- 5. पत्नी और पति में न्यायिक रूप से अलग, पत्नी और पति शामिल होंगे।
 - * चिकित्सा देखभाल के लिए परिवार की परिभाषा (*अगला पृष्ठ देखें*)

परिवार की परिभाषा

केन्द्रीय सेवा नियम, 1944 के प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द का तात्पर्य सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पित, जैसा भी मामला हो, तथा माता-पिता, बहनें, विधवा बहनें, विधवा पुत्रियां, नाबालिग भाई, बच्चे, सौतेले बच्चे, तलाकशुदा/अलग हुई पुत्रियां तथा सौतेली मां से है जो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं तथा सामान्यतः सरकारी कर्मचारी के साथ रहते/रहती हैं।

1. परिवार का अर्थ है कर्मचारी:

	 (
	पति / पत्नी जिसमें एक से अधिक पत्नी और न्यायिक रूप से अलग पत्नी भी शामिल हैं।				
2.	माता-पिता और सौतेली मां	 दत्तक ग्रहण के मामले में, केवल दत्तक माता-पिता को ही, वास्तविक माता-पिता को नहीं। यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पित्रयाँ हैं, तो केवल पहली पत्नी। एक मिहला कर्मचारी को अपने माता-पिता या अपने माता-पिता को शामिल करने का विकल्प है। सेवा के दौरान केवल एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को बदला जा सकता है। 			
iii.	कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों , सौतेलें बच्चों और वार्ड के रूप में लिए गए बच्चों सहित बच्चों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:				
क.	अविवाहित पुत्र जब तक कमाना शुरू नहीं कर देता, या 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो।				
ख.					
ग.	पुत्र किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता (शारीरिक या मानसिक) से पीड़ित हो - आयु सीमा पर ध्यान दिए बिना।				
iv.	विधवा बेटियाँ और आश्रित तलाकशुदा/अलग बेटियाँ	आयु सीमा पर ध्यान दिए बिना।			
v.	अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त या पति/विधवा बहनों से अलग बहनें	आयु सीमा पर ध्यान दिए बिना।			
vi.	अवयस्क भाई	वयस्क होने की आयु तक			
vii.	स्थायी विकलांग आश्रित भाई	आयु सीमा पर ध्यान दिए बिना			

2. निर्भरता: दावे पर विचार करने की तारीख को परिवार के सदस्यों (पित या पत्नी के अलावा) की निर्भरता के लिए आय सीमा ₹ 9000 + डीए/डीआर है। कर्मचारी मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्टेशन में सरकारी कर्मचारी या परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहने वाले माता-पिता प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

3. जब पति और पत्नी दोनों कर्मचारी हों:

- क) राज्य सरकार, रक्षा/रेलवे या निगम/निकायों में कार्यरत पित या पत्नी, जो आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, स्थानीय निकाय और निजी संगठन जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, वे उस संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के केन्द्रीय सरकार के नियमों के अंतर्गत सुविधाओं का चयन कर सकते हैं जिसमें पित या पत्नी कार्यरत हैं।
- ख) जहां दोनों केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, वहां दोनों में से कोई भी अपनी स्थिति के अनुसार स्वयं तथा अपने परिवार के पात्र सदस्यों के लिए दावा करना पसंद कर सकता है।
- ग) दोनों प्रकार के मामलों में, यह बताने के लिए संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है कि दावा कौन कर रहा है। (ख) के अंतर्गत आने वाले मामले में संयुक्त घोषणा के अभाव में, रियायत का लाभ पित की स्थिति के अनुसार पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा उठाया जाना है। पदोन्नति, स्थानांतरण, त्यागपत्र आदि परिस्थितियों के अनुसार घोषणापत्र में परिवर्तन किया जा सकता है।
- घ) यदि न्यायिक रूप से अलग हो गए हैं, तथा संरक्षकता पर निर्णय लंबित है, तो बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति पति या पत्नी में से किसी एक को दी जा सकती है।
- ड.) यदि पति/पत्नी को निश्चित चिकित्सा भत्ता मिल रहा है, तो सरकारी कर्मचारी स्वयं तथा पति/पत्नी को छोड़कर उसके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा देखभाल नियमों के अंतर्गत सविधाएं प्राप्त कर सकता है।



अनुलग्नक-II (संदर्भ- 10 सीएओ/सीआईआर/2024, दि. 18.11.2024)

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से परिवार के सदस्यों की निर्भरता की घोषणा

(प्रत्येक दावे के लिए प्रस्तुत किया जाए)

मैं एतद्द्वारा अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सच घोषित करता हूं कि डॉ. / श्री / श्रीमती / सुश्री आय परी तरह से मझ पर निर्भर है और
आयु पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है और उसकी प्रति माह आय ₹ 9000+ डीए⁄डीआर से अधिक नहीं है और वह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं है।
आश्रित परिवार के सदस्यों के विवरण से युक्त परिशिष्ट -1 भी इसके साथ संलग्न है।
मैं एतद्द्वारा किसी भी जोड़ या परिवर्तन के लिए प्रशासन विभाग के प्रमुख को सूचित करके उपरोक्त विवरणों को अद्यतन रखने का वचन देता हूं।
उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार की गई है, तथा किसी भी झूठी घोषणा के लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई का पात्र होऊंगा।
कर्मचारी का हस्ताक्षरः
कर्मचारी का नाम और पदनामः
कर्मचारी कोड:
दिनांकः
स्थान:
मेरा मानना है कि ऊपर दी गई घोषणा स्वीकार्य है।
वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी (प्रशा. व मा.सं.)



अनुलग्नक-III

(संदर्भ सं. मु.प्रशा. अ./परिपत्र/2024, दि. 18.11.2024)

एलटीसी का लाभ उठाने हेतु परिवार के सदस्यों के लिए घोषणा प्रमाण पत्र

(हर साल अद्यतन और प्रस्तुत किया जाए)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि नीचे नामित परिवार के सदस्य पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं और उनके पास भूमि संपत्ति, रोजगार या किसी पेंशन के माध्यम से आय का कोई स्रोत नहीं है। वह परिवार की परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का सदस्य है:

क्र. सं.	परिवार के सदस्य का नाम	आयु	कर्मचारी के साथ संबंध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

- > उसके पास भूमि संपत्ति, रोजगार या किसी पेंशन के माध्यम से आय का कोई स्रोत नहीं है।
- वह 'परिवार' की परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का सदस्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूं कि प्रति माह उसकी आय ₹ 9000+ डीए/डीआर से अधिक नहीं है और वह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं है।
- यह कि मेरे पित या पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं/िक मेरे पित या पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, और उसके द्वारा स्वयं के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए संबंधित ब्लॉक वर्ष के लिए अलग से रियायत का लाभ नहीं उठाया गया है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
- मेरा जीवनसाथी, जिसके लिए मैंने एलटीसी का दावा किया है, किसी सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम/िनगम/स्वायत्त निकाय में कार्यरत नहीं है, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा वित्तपोषित है, जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को अवकाश यात्रा रियायत सुविधा प्रदान करता है।

उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम विश्वास पर की गई है और किसी भी झूठी घोषणा के मामले में, मैं मौजूदा नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

	कर्मचारी का हस्ताक्षरः	
	कर्मचारी का नाम और पदनामः	
		कर्मचारी कोड:
दिनांक:		
स्थान:		